न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4074

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री किलेदार सिंह निवासी ग्राम मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

..........आवेदक

बनाम

सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ऊदल प्रसाद ब्राम्हण निवासी ग्राम सोनी परगना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

...... अनावेदक

द्वारा आज दि. 30-10-2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मेहगांव जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/ 2015–16 अ.मा. में पारित आदेश 08.09.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा मौजा सोनी स्थित सर्वे नम्बर मुताबिक वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु न्यायालय तहसीलदार मेहगांव में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तहसीलदार द्वारा आवेदक को बगैर सुने आदेश पारित किया था सर्वे नम्बर 935, 937 का था नामान्तरण भी उन्हीं नम्बरों पर करना चाहिये था जो न कर बैजनाथ के नाम पर भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण कर दिया इन सभी नम्बरो का इश्तहार जारी किये बगैर किया गया आदेश पारित किया है जिसका प्रकरण क्रमांक 25/ 14–15 / अ– 6 मे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4074

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	